संख्या-25/2015/1043/26-3-2015-10(28)/99

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 13 अप्रैल, 2015

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 की आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 07-08/स0क0/लेखा-बजट/2015-16 दिनांक 07-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-'' एवं ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण'' के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में खर्चो को वहन करने के लिए रू0 11,98,07,32,000/- (रू0-ग्यारह अरब अठ्ठान्बे करोड़ सात लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2015-16 में सम्पूर्ण वर्ष के लिए है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण वित्तीय वर्ष के अंत में सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

संख्या-25/2015/1043/26-3-2015-10(28)/99तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3-कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ एवं अन्य समस्त संबंधित कोषाधिकारी,उ0प्र0।
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
5-संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6-निदेशक, एन0 आई0 सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7-सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-25/2015/1043/26-3-2015-10(28)/99 दिनांक 13 अप्रैल,2015 का संलग्नक

अनुदान संख्या-80 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रू0 में)

लेखाशीर्षक/मानक मद/योजना	**बजट प्राविधान 2015-16**	**स्वीकृत की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**
राजस्व लेखा		
2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण		
01-अनुसूचित जातियों का कल्याण		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
03-मुख्यालय अधिष्ठान		
01-वेतन	42616	42616
02-मजदूरी	450	450
03-मंहगाई भत्ता	51139	51139
04-यात्रा व्यय	800	800
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100	100
06-अन्य भत्ते	5114	5114
07-मान्देय	20	20
08-कार्यालय व्यय	6000	6000
09-विद्युत देय	1800	1800
10-जलकर/जलप्रभार	450	450
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2350	2350
12-कार्याल्य फर्नीचर एवं उपकरण	400	400
13-टेलीफोन पर व्यय	450	450
14-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	2000	2000
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1400	1400
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	100	100
18-प्रकाशन	100	100
29-अनुरक्षण	700	700
42-अन्य व्यय	60	60
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1000	1000
45-अवकाश यात्रा व्यय	500	500
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	2000	2000
49-चिकित्सा व्यय	3000	3000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

51-वर्दी	80	80
योग:- 03	**122629**	**122629**
04-मण्डलीय कार्यालयों का अधिष्ठान		
01-वेतन	23602	23602
03-मंहगाई भत्ता	28322	28322
04-यात्रा व्यय	450	450
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	150	150
06-अन्य भत्ते	2832	2832
07-मानदेय	15	15
08-कार्यालय व्यय	4500	4500
09-विद्युत देय	1000	1000
10-जलकर/जलप्रभार	200	200
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2200	2200
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500	500
13-टेलीफोन पर व्यय	600	600
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	700	700
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	1320	1320
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	300	300
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	850	850
42-अन्य व्यय	50	50
45-अवकाश यात्रा व्यय	150	150
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	2120	2120
49-चिकित्सा व्यय	1000	1000
51-वर्दी	50	50
योग-04:-		
05-जिला कार्यालय का अधिष्ठान -		
01-वेतन	163403	163403
03-मंहगाई भत्ता	196084	196084
04-यात्रा व्यय	1800	1800
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	525	525
06-अन्य भत्ते	16340	16340
07-मानदेय	51	51
08-कार्यालय व्यय	18890	18890
09-विद्युत देय	1500	1500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10-जलकर/जलप्रभार	300	300
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3525	3525
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000	1000
13-टेलीफोन पर व्यय	850	850
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	12000	12000
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500	500
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	800	800
42- अन्य व्यय	600	600
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	725	725
45- अवकाश यात्रा व्यय	1025	1025
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण्/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	5200	5200
49-चिकित्सा व्यय	4000	4000
51- वर्दी	300	300
योग-05:-	429418	429418
102 आर्थिक विकास 03-औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजनाः-		
01-वेतन	4434	4434
03-मंहगाई भत्ता	5321	5321
04-यात्रा व्यय	30	30
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	50
06-अन्य भत्ते	443	443
07-मानदेय	5	5
08-कार्यालय व्यय	30	30
09-विद्युत देय	100	100
10-जलकर/जलप्रभार	20	20
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	10	10
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10	10
45-अवकाश यात्रा व्यय	30	30
49-चिकित्सा व्यय	100	100
51-वर्दी	5	5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योग-03:-	10588	10588
277-शिक्षा		
03- औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
01-वेतन	23072	23072
03-मंहगाई भत्ता	27686	27686
04-यात्रा व्यय	75	75
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30	30
06-अन्य भत्ते	2307	2307
07-मानदेय	500	500
08-कार्यालय व्यय	2500	2500
09-विद्युत देय	3000	3000
10-जलकर/जलप्रभार	200	200
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	110	110
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	350	350
13-टेलीफोन पर व्यय	75	75
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	75	75
16-व्यवसायिक तथा विशेष् सेवाओं के लिए भुगतान	100	100
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	270	270
26-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयत्र	300	300
29-अनुरक्षण	350	350
39-औषधि तथा रसायन	100	100
42-अन्य व्यय	70	70
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	130	130
45-अवकाश यात्रा व्यय	300	300
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण्/त्त्सम्बन्धी स्टेश्नरी का व्यय	250	250
49- चिकित्सा व्यय	600	600
51- वर्दी	20	20
योग 03-	62470	62470
04-अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास		
01-वेतन	76491	76491
02-मजदूरी	700	700
03-मंहगाई भत्ता	91789	91789
04-यात्रा व्यय	300	300

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100	100
06-अन्य भत्ते	7649	7649
07-मानदेय	150	150
08-कार्यालय व्यय	1500	1500
09-विद्युत देय	37500	37500
10-जलकर/जलप्रभार	800	800
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	700	700
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2000	2000
13-टेलीफोन पर व्यय	60	60
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4000	4000
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	100	100
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3000	3000
29-अनुरक्षण	3500	3500
42-अन्य व्यय	2550	2550
45-अवकाश यात्रा व्यय	900	900
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	300	300
49-चिकित्सा व्यय	1400	1400
51-वर्दी	100	100
योग 04:-	**235589**	**235589**
05-अनुसूचित जातियों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के फलस्वरूप घाटे की प्रतिपूर्ती हेतु अशासकीय विद्यालयों को अनुदान		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1	1
06-चिकित्सा अभियंत्रण तथा टेक्नालाजी विषय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तक व उपकरण क्रय हेतु अनावर्ती सहायता		
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2500	2500
07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जि0यो)		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	12000	6000
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	990000	990000
योग 07:-	1002000	996000
09-ज्योतिबा राव फूले रा0स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय		
01-वेतन	81954	81954
02- मजदूरी	2000	2000
03- मंहगाई भत्ता	98345	98345
04-यात्रा व्यय	500	500
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	300	300
06- अन्य भत्ते	8195	8195
07- मानदेय	600	600
08- कार्यालय व्यय	1600	1600
09- विद्युत देय	23000	23000
10- जलकर/जल प्रभार	600	600
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छापाई	500	500
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1600	1600
16- व्यवसायिक तथा विशेष शिक्षा के लिये भुगतान	16000	16000
17- किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	500	500
19- विज्ञापन, ब्रिकी और विश्यापन व्यय	200	200
20- अनुरक्षण	1000	1000
39- औषधि तथा रसायन	1100	1100
41- भोजन व्यय	30000	30000
42- अन्य व्यय	300	300
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	16000	16000
45- अवकाश यात्रा व्यय	500	500
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	100	100
49- चिकित्सा व्यय	2000	2000
51- वर्दी	60	60
योग 09:-	**286954**	**286954**
10- अनुसूचित जाति के कक्षा-1-8 तक पढने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं अनावर्ती सहायता		
01- राज्य योजना		
21- छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	**10000**	**10000**
13- अनुसूचित जातियों के व्यकितयों के लिये सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र सहायता		
01- वेतन	4243	4243
03-मंहगाई भत्ता	5092	5092
04- यात्रा व्यय	30	30
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	50
06- अन्य भत्ते	443	443
07- मानदेय	1400	1400
08- कार्यालय व्यय	300	300
09- विद्युत देय	800	800
10-जलकर/जलप्रभार	150	150
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	300	300
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500	500
13- टेलीफोन पर व्यय	50	50
17- किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	160	160
20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	950	475
26- मशीने और साज सज्जा/उपकरण और संयत्र	100	100
29- अनुरक्षण	100	100
41- भोजन व्यय	3500	3500
42- अन्य व्यय	50	50
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	400	400
45- अवकाश यात्रा व्यय	20	20
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	100	100
49- चिकित्सा व्यय	100	100
51- वर्दी	20	20
योग-13:-	**18858**	**18383**
15-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् छात्रों को आर्थिक सहायता		
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1	1
19-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर		

http://shasanadesh.up.nic.in

कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति		
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	**6613000**	**6613000**
20-मैला उठाने, चमड़ा उतारने जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के दशमपूर्व कक्षाओं (कक्षा-1 से 10 तक) अध्ययनरत् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति		
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	**10000**	**10000**
योग-277:-	**8241373**	**8234898**
05-अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता(जि0यो0)		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	10000	5000
योग 800:-	10000	5000
योग-01:-	**9501070**	**9489595**
80-सामान्य		
102-स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान		
03-डा0अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउण्डेशन की स्थापना		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	280	140
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1200	1200
योग-033:-	1480	1340
800-अन्य व्यय		
03-शैक्षिक कार्यक्रम		
0301-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन मूल योजना (विमुक्त जाति)		
01-वेतन	35454	35454
02-मजदूरी	200	200
03-मंहगाई भत्ता	42545	42545
04-यात्रा व्यय	200	200
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	40	40
06-अन्य भत्ते	3545	3545
07-मानदेय	5	5
08-कार्यालय व्यय	300	300
09-विद्युत देय	1200	1200
10-जलकर/जलप्रभार	100	100

http://shasanadesh.up.nic.in

11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	150	150
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	100
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100	100
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	200	200
29-अनुरक्षण	320	320
39-औषधि तथा रसायन	225	225
41-भोजन व्यय	20000	20000
42-अन्य व्यय	80	80
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	8000	8000
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	100
49-चिकित्सा व्यय	300	300
51-वर्दी	10	10
योग-01:-	**113174**	**113174**
0302-विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	40000	20000
योग-03:-	**153174**	**133174**
04-पूर्वदशम कक्षाओं में पढ़ने वाले विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति/अनावर्ती सहायता (कक्षा-1 से 10 तक) के छात्रों के लिए		
0401-राज्य योजना		
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1	1
05-आर्थिक उत्थान		
0501-राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण		
01-वेतन	8358	8358
03-मंहगाई भत्ता	10030	10030
04-यात्रा व्यय	40	40
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	50
06-अन्य भत्ते	835	835
07-मानदेय	5	5
08-कार्यालय व्यय	50	50
09-विद्युत देय	120	120

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10-जलकर / जलप्रभार	100	100
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	55	55
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30	30
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	20	20
29-अनुरक्षण	100	100
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	100
49-चिकित्सा व्यय	200	200
51-वर्दी	3	3
योग-01:-	**20096**	**20096**
0503-विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र		
01-वेतन	1191	1191
03-मंहगाई भत्ता	1429	1429
04-यात्रा व्यय	10	10
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15	15
06-अन्य भत्ते	119	119
07-मानदेय	1	1
08-कार्यालय व्यय	20	20
09-विद्युत देय	20	20
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	15	15
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	15	15
42-अन्य व्यय	20	20
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	15	15
45-अवकाश यात्रा व्यय	20	20
49-चिकित्सा व्यय	50	50
51-वर्दी	2	2
योग-03:-	**2942**	**2942**
योग-80	**177693**	**157553**
महायोग 2225:-	**9062611**	**9030997**
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
01-पुर्नवास		
800-अन्य व्यय		
03-कश्मीर से आये व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता		
20-सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**2781**	**1390**
योग 800:-	**2781**	**1390**
योग-01:-		
02-समाज कल्याण		
104-वृद्ध अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण		
03-वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासिक गृह		
01- वेतन	1091	1091
03-मंहगाई भत्ता	1309	1309
04-यात्रा व्यय	10	10
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15	15
06-अन्य भत्ते	131	131
07-मानदेय	1	1
08-कार्यालय व्यय	15	15
09-विद्युत देय	50	50
10-जलकर/जलप्रभार	25	25
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	15	15
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25	25
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	100	100
29-अनुरक्षण	30	30
41-भोजन व्यय	300	300
42-अन्य व्यय	10	10
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	100	100
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	100
49-चिकित्सा व्यय	100	100
51-वर्दी	2	2
योग-103:-	**3429**	**3429**
04-भिक्षावृत्ति का निवारण		
01-वेतन	21035	21035
03-मंहगाई भत्ता	25242	25242
04-यात्रा व्यय	90	90
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30	30
06-अन्य भत्ते	2103	2103
08-कार्यालय व्यय	100	100
09-विद्युत देय	200	200
10-जलकर/जलप्रभार	50	50

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	50	50
13-टेलीफोन पर व्यय	15	15
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	165	165
29-अनुरक्षण	50	50
41-भोजन व्यय	500	500
42-अन्य व्यय	15	15
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	200	200
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50	50
45-अवकाश यात्रा व्यय	50	50
49-चिकित्सा व्यय	120	120
51-वर्दी	8	8
योग 04:-	50123	50123
107-स्वेच्छा संगठनों को सहायता		
03-मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिए अनुदान		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1500	750
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	102000	102000
योग-03:-	103500	102750
05-समाज कल्याण के विभिन्न कार्यो में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	100	50
योग-107:-	103600	102800
200-अन्य कार्यक्रम		
03-आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्वदशम (कक्षा-1 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति		
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन (आयोजनेत्तर)	166400	166400
05-सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के युवक/ युवतियों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	10800	5400
06-सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु आर्थिक सहायता		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	10000	5000
07-आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति		
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन (आयोजनेत्तर)	1980496	1980496
योग-200:- (आयोजनेत्तर)	2167696	2157296
800-अन्य व्यय		
03-आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था		
01-वेतन	1106	1106
03-मंहगाई भत्ता	1327	1327
06-अन्य भत्ते	110	110
07-मानदेय	1	1
26-मशीने और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	12	12
39-औषधि तथा रसायन	30	30
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	15	15
योग-03:-	2601	2601
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
102-सामाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		
03-वृद्धावस्था/किसान पेंशन		
01-अधिष्ठान		
01-वेतन	13605	13605
03-मंहगाई भत्ता	16326	16326
04-यात्रा व्यय	250	250
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	50
06-अन्य भत्ते	1360	1360
07-मानदेय	10	10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

08-कार्यालय व्यय	150	150
09-विद्युत देय	120	120
10-जलकर/जलप्रभार	50	50
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	60	60
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	100
51-वर्दी	15	15
योग-01:-	32096	32096
योग-03:-	32096	32096
0302-वृद्धावस्था किसान पेंशन		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1200000	600000
योग-102	**1232096**	**632096**
महायोग 2235 (आयोजनेत्तर)	**3562326**	**2949735**
योग 2013 आयोजनेत्तर	**35**	**35**
2225-अनु0जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (आयोजनेत्तर)	**9062611**	**9030997**
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (आयोजनेत्तर)	**3562326**	**2949735**
महायोग (2225+2235)	**12624938**	**11980732**

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।